

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) संगरिया  
पीठासीन अधिकारी :- रमेश देव (आर.ए.एस.)

प्रकरण सं. 222/2023

वाद अ. धारा 88, 53 आर.टी.ए.



सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official

1. गुरसेवक सिंह पुत्र श्री बलवीर सिंह जाति जटसिख निवासी हरिपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
2. रणजीत सिंह पुत्र श्री बलवीर सिंह जाति जटसिख निवासी हरिपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)

- वादीगण

बनाम्

1. बलवीर सिंह पुत्र श्री मोती सिंह जाति जटसिख निवासी हरिपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
2. तहसीलदार(राजस्व) संगरिया।

- प्रतिवादीगण

उपस्थिति :-

वादीगण की ओर से :- श्री कुलदीप मुण्ड, एडवोकेट  
प्रतिवादी की ओर से :- श्री महावीर बेरड़, एडवोकेट

निर्णय दिनांक :- 16.6.2023

वादीगण गुरसेवक सिंह व अन्य ने प्रतिवादीगण बलवीर सिंह वगैरा के विरुद्ध यह राजस्व वाद बाबत् घोषणा एवं खाता विभाजन का इस न्यायालय में पेश किया कि यह कि वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 आपस में पिता-पुत्र है जो कि एक ही संयुक्त परिवार के सदस्य है। वादीगण के पिता प्रतिवादी सं. 1 के नाम से तहसील संगरिया के चक 1 एच.आर.पी. के खाता सं. 70/53 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76 में 2.700 है. कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त चक के खाता की जमाबन्दी की प्रमाणित प्रतिलिपि सलग्न वाद पत्र है। यह कि वाद पत्र की चरण सं. 2 में वर्णित कृषि भूमि जो कि वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 की संयुक्त खाता की संयुक्त विरासतन कृषि भूमि है जिसमें वादीगण का हित एवं स्वत्व निहित है परन्तु उक्त समस्त कृषि भूमि वादीगण के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं होने के कारण तथा प्रतिवादी सं. 1 के अन्य लोगों के प्रभाव में होने व उक्त भूमि की आय का अपने निजी व्ययनों पर खर्च करने के कारण वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 के मध्य विवाद हो गया व आपस में कटुता पैदा हो गई इस पर रिश्तेदारों आदि ने जरिये पंचायत वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 के मध्य राजीनामा व बंटवारा करवा दिया। जिसमें

प्रतिवादी सं. 1 ने अपने समस्त हक व हिस्सा की कृषि भूमि का परित्याग वादीगण के पक्ष में ब.हि.ब. बंटवारानुसार कर दिया। प्रतिवादी सं. 1 का उक्त कृषि भूमि में कोई भी हक व हिस्सा शेष नहीं रहा है। प्रतिवादी सं. 1 के पास अपना जीवनयापन करने के लिये ग्राम पंचायत हरिपुरा में रिहाईशी मकान एवं दुकाने एवं अन्य पर्याप्त संसाधन हैं। वादीगण को बंटवारा में प्राप्त कृषि भूमि का वर्णन निम्न प्रकार से हैं :-

(क) वादी सं. 1 गुरसेवक सिंह पुत्र श्री बलवीर सिंह जाति जटसिख निवासी हरिपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक, हिस्सा व कब्जाकाशत की कृषि भूमि :-

चक 1 एच.आर.पी. खाता सं. 70/53 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76

प.नं. मु.नं. कि.नं.

203/123 60 17,18,19,23/0.253 है.प्र., 20/0.193 है.प्र.

24/2/0.107 है., 24/3/0.038 है.

कुल 1.350 है. कृषि भूमि



(क) वादी सं. 2 रणजीत सिंह पुत्र श्री बलवीर सिंह जाति जटसिख निवासी हरिपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक, हिस्सा व कब्जाकाशत की कृषि भूमि :-

चक 1 एच.आर.पी. खाता सं. 70/53 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76

प.नं. मु.नं. कि.नं.

203/123 60 20/0.060 है.

201/119 31 20,21/0.253 है.प्र.

201/120 40 1/0.253 है.

202/123 59 16,17/0.253 है.प्र., 18/2/0.025 है.

कुल 1.350 है. कृषि भूमि

यह कि वाद पत्र की चरण सं. 2 में वर्णित कृषि भूमि जो कि वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 की संयुक्त खाता की संयुक्त कृषि भूमि हैं जिसमें वादीगण का हित एवं स्वत्व निहित है। वाद पत्र की चरण सं. 3 के अनुसार वादीगण खातेदार काशतकार होने की घोषणा करवा उक्तानुसार ही खाता विभाजन करवा रकमराज अलग करवाने के अधिकारी एवं दावेदार है। यह कि वाद पत्र की चरण सं. 2 में वर्णित कृषि भूमि जो कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खाता की संयुक्त कृषि भूमि हैं जिसमें वादीगण का हित एवं स्वत्व निहित है। वादीगण ने वाद पत्र की चरण सं. 2 के अनुसार वादीगण को खातेदार काशतकार होने की घोषणा करवा उक्तानुसार ही खाता विभाजन करवा रकमराज

16/6/23  
प्रमाणित करने के लिये अधिकारी  
जिला कार्यालय (SDO)  
जयपुर स्थल...  
2023

अलग करवाने हेतु कहा तो कुछ दिन तक तो प्रतिवादीगण टाल मटोल करते रहे, आखिर गत् सप्ताह ऐसा करने से कतई इन्कार हो गये। बस यही वाद कारण है।

उक्त तथ्यों के आधार पर वाद पत्र पेश होने पर सीगेदार की रिपोर्ट के बाद दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से सहमति का जवाब दावा प्रस्तुत किया गया, जो शामिल मिसल किया गया। प्रतिवादी सं. 2 का जवाब स्टेट पेश हुआ। जो शामिल मिसल किया गया। वाद पत्र के समर्थन में वादीगण के द्वारा तहसील संगरिया के चक 1 एच.आर.पी. के खाता सं. 70/53 जमाबन्दी सम्बत् 2073-76 की प्रति पेश की गई जो प्रदर्श-1 है। साक्ष्य वादीगण में वादी सं. 1 का शपथ पत्र अ. धारा 18 नियम 4 व्य.प्र.सं. पेश किया जो शामिल मिसल किया गया। साक्ष्य प्रतिवादीगण बन्द की गई।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। बहस में वादी के अभिभाषक ने कथन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 संयुक्त परिवार के सदस्य है तथा आपस में कोई विरोध नहीं है। प्रतिवादी सं. 1 द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से सहमति का जवाब दावा प्रस्तुत किया गया। वाद पत्र में घोषणा एवं खाता विभाजन का अनुतोष चाहा गया है। बहस में वकील वादीगण एवं वकील प्रतिवादी सं. 1 ने सहमति के जवाब दावे अनुसार वाद पत्र डिक्री किये जाने पर सहमति दी। वकील वादीगण ने वाद डिक्री किये जाने का निवेदन किया। जिसका वकील प्रतिवादीगण ने कोई विरोध नहीं किया।

वाद पत्र में वर्णित आराजी वादीगण के पिता प्रतिवादी सं. 1 के नाम से तहसील संगरिया के चक 1 एच.आर.पी. के खाता सं. 70/53 जमाबन्दी सम्बत् 2073-76 में 2.700 है। कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रतिवादी सं. 1 द्वारा सहमति का जवाब दावा प्रस्तुत करने के कारण तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नहीं है। वाद पत्र में वर्णित कृषि भूमि संयुक्त परिवार की संयुक्त कृषि भूमि है। वादी व प्रतिवादी सं. 1 एक ही परिवार के सदस्य है। वाद पत्र का कोई विरोध हमारे समक्ष नहीं आया है। वाद पत्र मुताबिक सहमति के जवाब दावे अनुसार डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है।

**--: क्रियात्मक आदेश :-**

अतः वाद वादी मुताबिक अनुतोष अनुसार डिक्री किया जाता है कि :-

- (क) वादी सं. 1 गुरसेवक सिंह पुत्र श्री बलवीर सिंह जाति जटसिख निवासी हरिपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक, हिस्सा व कब्जाकाशत की कृषि भूमि :-



16/6/23  
प्रशासनिक मामलों के अतिरिक्त...  
शिकायत (S.D.O.)  
शिवराम...

चक 1 एच.आर.पी. खाता सं. 70/53 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76

प.नं. मु.नं. कि.नं.

203/123 60 17,18,19,23/0.253 है.प्र., 20/0.193 है.,  
24/2/0.107 है., 24/3/0.038 है.

कुल 1.350 है. कृषि भूमि

(क) वादी सं. 2 रणजीत सिंह पुत्र श्री बलवीर सिंह जाति जटसिख निवासी हरिपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक, हिस्सा व कब्जाकाशत की कृषि भूमि :-

चक 1 एच.आर.पी. खाता सं. 70/53 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76

प.नं. मु.नं. कि.नं.

203/123 60 20/0.060 है.

201/119 31 20,21/0.253 है.प्र.

201/120 40 1/0.253 है.

202/123 59 16,17/0.253 है.प्र., 18/2/0.025 है.

कुल 1.350 है. कृषि भूमि



मुताबिक बंटवारा वादीगण के पिता प्रतिवादी सं. 1 के नाम से तहसील संगरिया के चक 1 एच.आर.पी. के खाता सं. 70/53 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76 में 2.700 है. कृषि भूमि के वादीगण को ब.हि.ब. के खातेदार काशतकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 1 का नाम कलमजन किया जाकर उक्तानुसार खाता अलग से कायम किया जावे।

नोट:- यदि डिफ्रीत वादी/प्रतिवादीगण हक आराजी बैंक रहन नही है तो अमल दरामद मुताबिक डिफ्री किया जावे।

इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। पर्चा डिफ्री जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील नम्बर से कम किया दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 16/6/2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

16/6/2023  
(रमेश देव)

सहायक कलेक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकाारी(राजस्व),  
संगरिया

# डिक्री एवं मुकदमें इब्तदाई

(ओ.20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, संगरिया  
पीठासीन अधिकारी:- रमेश देव(आर.ए.एस.)

प्रकरण सं. 222/2023

गुरसेवक सिंह पुत्र श्री बलवीर सिंह जाति जटसिख निवासी हरिपुरा तहसील संगरिया  
जिला हनुमानगढ़(राज.)

रणजीत सिंह पुत्र श्री बलवीर सिंह जाति जटसिख निवासी हरिपुरा तहसील संगरिया  
जिला हनुमानगढ़(राज.)

- वादीगण

बनाम्

1. बलवीर सिंह पुत्र श्री मोती सिंह जाति जटसिख निवासी हरिपुरा तहसील संगरिया जिला  
हनुमानगढ़(राज.)

2. तहसीलदार(राजस्व) संगरिया।

- प्रतिवादीगण

वाद पत्र अ. धारा 88, 53 आर.टी.ए.

दिनांक :- 16.6.2023

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ रमेश देव(आर.ए.एस.) के समक्ष वास्ते  
इनफिसाल कतई रोबरु हमारे बहाजरी श्री कुलदीप मुण्ड वकील वादीगण मिन जामिन  
मुदई श्री महावीर बेरड़ वकील प्रतिवादी सं. 1 मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुकम  
दिया जाता है व यह डिक्री दी जाती है कि:-

वादी सं. 1 गुरसेवक सिंह पुत्र श्री बलवीर सिंह जाति जटसिख निवासी हरिपुरा तहसील  
संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक, हिस्सा व कब्जाकाशत की कृषि भूमि :-

चक 1 एच.आर.पी. खाता सं. 70/53 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76

प.नं. मु.नं. कि.नं.

203/123 60 17,18,19,23/0.253 है.प्र., 20/0.193 है. सत्यमेव जयते

24/2/0.107 है., 24/3/0.038 है.

कुल 1.350 है. कृषि भूमि

वादी सं. 2 रणजीत सिंह पुत्र श्री बलवीर सिंह जाति जटसिख निवासी हरिपुरा तहसील  
संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक, हिस्सा व कब्जाकाशत की कृषि भूमि :-

चक 1 एच.आर.पी. खाता सं. 70/53 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76

प.नं. मु.नं. कि.नं.

203/123 60 20/0.060 है.

201/119 31 20,21/0.253 है.प्र.

प्रशासन गांवों के तंग अभियान  
गिरिजा पार्क (S.D.O)  
गिरिजा स्थल फतेहपुर

लगातार --2

201/120 40 1/0.253 है.

202/123 59 16,17/0.253 हे.प्र., 18/2/0.025 हे.

कुल 1.350 है. कृषि भूमि

मुताबिक बंटवारा वादीगण के पिता प्रतिवादी सं. 1 के नाम से तहसील संगरिया के चक 1 एच.आर.पी. के खाता सं. 70/53 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76 में 2.700 है. कृषि भूमि के वादीगण को ब.हि.ब. के खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 1 का नाम कलमजन किया जाकर उक्तानुसार खाता अलग से कायम किया जावे।

नोट :- यदि डिग्रित वादी/प्रतिवादी हक आराजी बैंक रहन नही है तो अमल दरामद मुताबिक डिग्री किया जावे।

निज  निल  मुब्लिक  निल  बाबत्   
निल  खर्चा मुकदमें के मयथुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयावी तक  को अदा करे।

वसव्त मेरे दस्तख्त एवं मोहर अदालत से आज दिनांक 16.6.2023 को जारी किया जाता है।



16/6/23  
(रमेश देव)

सहायक कलेक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी (सिजस्व)  
गिवि मथल, फतेहपुर  
संगरिया